agreed that their Chamber of Commerce and Industry which looks to international trade will look to the specifications and other things before the export of the material to us.

So far as the penalty clause is concerned, the wordings of the agreement are 'by mutual agreement'. That means that if either side does not agree, it is not clear what will happen thereafter. Except invoking the Foreign Affairs Ministry and the Ministerial or other diplomatic negotiations, I do not think there is any other method... ...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Is it a political problem or an economic problem?

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is an economic problem

MR. SPEAKER: It cannot be done 'Mutual' means mutual for both.

SHRI YADVENDRA BUTT: As I understand the general practice in international trades before delivery takes place of the ordered goods, the party that orders the goods has an inspection. Will the Minister be good enough to inform the House whether he has such an organization working in Russia also and if so, did they inspect the goods before despatch of the goods or the defects were found when they were put to use in India? If not, why not?

SHRI H N. BAHUGUNA As I told you, the entire thing is governed by what we call a trade agreement between the two countries. It is not a case of ONGC entering into the world market for making a normal purchase.

Secondly, so far as the inspection machinery is concerned, the agreement does not provide for inspection by us. We inspect only when the thing comes here. Normally the inspection is done at the manufacturing stage itself as we did recently in the case of some pipes we imported from Japan. We sent six Inspectors to be there so that our specifications are adhered to in the manufacturing stage itself. But, in this particular case, it is not the position.

SHRI YADVENDRA DUTT: Why was this not followed?

SHRI H. N. BAHUGUNA: I am stating the facts as they are. Then why of it is because it is a bilateral agreement where often times it is difficult for us to have that type of trade practices. In this particular case I have told you the situation as it is.

1980 में उज्जैन में कुम्भ मेला

287. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उज्जैन नगर में 1980 के प्रारम्भ में कुम्भ का मेला लगने वाला है और यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस मेले से सम्बद्ध कुछ प्रबन्ध करने के लिए उनके मंत्रालय से मांग की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या व्यय किया जाना है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस समय बढ़ रहे यातायात को देखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल की बहुत जरूरत है और क्या राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों संघों तथा विशिष्ट व्यक्तियों ने इस बारे में मांग की है , और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री प्रो० मधु दंडवते : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा है, जैसे वर्तमान ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना, वर्तमान ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करना, हरी फाटक में एक अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल और ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करना। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इसकी

योजना और अनुमान तैयार करने के लिए 22,800 रुपये जमा कराये । जब ये काम शुरू किये जायेंगे इनका खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा ।

(ख) और (ग) जी हां । वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे पार पुलों का खर्च राज्य सरकार को वहन करना होता है । यदि राज्य सरकार इस पुल का खर्च वहन करने के लिए सहमत होगी तो पुल बनाने के लिए रेलवे द्वारा उपयुक्त कारवाई की जायेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उज्जैन शहर में एक पुल है जो कि 50 साल पहले बना था । यह उस समय बना था जिस समय उज्जैन की आबादी 80 हजार थी । इस समय उज्जैन शहर की आबादी साढे तीन लाख है । इस बढती हुई आबादी को देखते हुए वहां एक पुल पर्याप्त नहीं है और इस कारण वहां हर साल सैकडों दुर्घटनाएं होती रहती हैं । मेरा जवान बेटा भी इन दुर्घटनाओं में मरा है और मैं उसकी भयावहता को समझ सकता हूं । राज्य सरकार की चिन्ता न करते हुए और जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक ऊपरी पुल अलग से स्टेशन के पश्चिम में बनाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी जिससे कि कुम्भ मेला आने से पूर्व ही पुल बनकर तैयार हो जाये ? क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

प्रो० मधु दंडवते : जिन सुविधाओं की मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की है उसका खर्चा लगभग 11 लाख रुपये है । जैसा कि कानून के आधार पर बताया गया है हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इन सुविधाओं को हम लोगों की तरफ से पूरा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पहले उनके लिए नक्शे और प्राक्कलन बनाने के लिए 22,800 रुपया दे दें, उसके बाद जो खर्चा होगा, वह भी आपको देना होगा ।

लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले कुंभ मेले के लिये काफी दिक्कतें हैं । माननीय सदस्य ने कहा है कि उज्जैन की जनसंख्या बढ रही है, मैं यह जरूर कहूंगा कि उसमें हमारे माननीय सदस्य का कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन इतनी जनसंख्या के बढते हुए, 1980 में जो वहां कुंभ मेला होगा उसकी हालत देखते हुए जो सवाल पैदा हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने तय किया है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी अदा की जाये या न की जाये लेकिन वैस्टर्न रेलवे की तरफ से एक प्रपोजल है जिसके अनुसार वर्तमान पैदल पुल विस्तार की योजना हम हाथ में लेंगे जिसमें साढे 3 लाख रुपया खर्च होगा । लेकिन रलवे के पैसेन्जर्स एमेनिटीज के लिये जो पैसा हमारे पास है उस राशि में से हम यह पुल पूरा करने का काम करेंगे । लेकिन अन्य सुविधाओं के लिये माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह अपने गुड आफिसेज इस्तेमाल कर के मध्य प्रदेश सरकार को बतायें कि वह खर्चा करने को तैयार हो जाये तभी दूसरी सुविधाएं हम दे सकते हैं

श्री हुकम चन्द कछवाय : कुंभ मेले के अवसर पर भयंकर रूप से उज्जैन में यातायात आने वाला है । इसके आस-पास के भोपाल और नागदा प्रमुख जंक्शन हैं वहां भी उज्जैन के लिये यात्री आकर्षित होते हैं । नागदा से इसी महीने में क्रमिग पर तीन व्यक्ति मर चुके हैं एक तो परसों ही मरा है । लेकिन वहां अभी तक कोई ऊपरी पुल नहीं है जिससे आवागमन में सुविधा हो । ऐसी स्थिति में क्या इन स्टेशनों के विकास का भी ध्यान रखा जायेगा जिससे आने वाले यात्रियों को कठिनाई न हो ?

क्या आपने ऐसी भी कोई योजना बनाई है कि उज्जैन के आस पास छोटे स्टेशनों पर यात्रियों को उतारा जाये, यानी पूर्व और पश्चिम में स्टेशन का फैलाव होना चाहिये और वहां भी पुल की आवश्यकता है, सडक के निर्माण की आवश्यकता है ? इसे ध्यान

मे रखते हुए क्या आपने कोई धनराशि निश्चित की है कि कुभ मेले के लिये जो बजट बनाया है, उसमे से इस कार्य पर कुछ राशि खर्च हो ?

अगर मान ले कि राज्य सरकार 22 हजार रुपया जमा न करे तो ऐसी स्थिति मे आप क्या करने जा रहे है ? क्या उनकी इस 22 हजार की राशि के बिना अपने बलबूते और अपने भरोसे पर आप इस पुल का निर्माण करेंगे ?

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : अध्यक्ष महादय, मै बीच मे दखल देना चाहता हू । मैं कोई सवाल नही कर रहा हू, बल्कि व्यवस्था ताडकर खडा हो रहा हू, और इसके लिए क्षमा चाहता हू ।

आपने सब समद सदस्यो का पत्र भी लिखा है कि प्रश्न सक्षिप्त और सीधा करे । जो सदस्य प्रश्न करना चाहते है वे भाषण न करे । किन्तु खेद है आपके पत्र के बावजद यहा पर लम्बे लम्बे भाषण कुछ लोग करते है, उनको यह सदन मानापली बन रहा है, यह खेद की बात है ।

प्रो० मधु दंडवते : जो कछवाय जी ने सवाल पूछा है, उसका जवाब देते हुए मै बताना चाहता हू कि 1968 के अप्रैल-मई महीने मे जब कुम्भ मेला हुआ था तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी । उस समय करीब करीब 4 लाख यात्री उज्जैन मे आये थे और उन यात्रियो के यातायात की समस्या को हल करने के लिए हम लोगो ने उस वक्त 45 स्पेशल ट्रेनो का इन्तजाम किया था ।

पहले तो मैं श्री कछवाय जी को यह यकीन दिलाना चाहता हू कि 1980 मे जो कुम्भ मेला होने जा रहा है, उस समय उज्जैन मे बडी सख्या मे शायद 4 से 5 लाख यात्री आयेंगे, उनके लिये हम स्पेशल ट्रेनो का इन्तजाम करेंगे । उन्होंने यह भी कहा है कि उसके नजदीक के स्टेशनो पर सुविधा हो, तो वहां भी सुविधायें प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे ।

हमारे बजट मे सुविधाये करने की जितनी उपलब्धिया हैं, उसका इस्तेमाल करके हम जरूर यह कार्य करेंगे । लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है, वह उसके लिए भी अदा करनी बहुत जरूरी है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय उज्जैन की जनसख्या मे बहुत वृद्धि हो गई है । क्या मत्री महोदय इसका ध्यान मे रखते हुए इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उसका ध्यान रखा जाएगा ।

श्री राममूर्ति : जैसा कि अभी बताया गया है । कुम्भ मेले मे चार, पाच, सात या दस लाख लोग आयेंगे । इसमे ज्यादा टिकटे बिकती है और रेलवे का ज्यादा आमदनी होती हैं । इसलिए क्या मत्री महादय का यह विचार नही है कि रेलवे की तरफ से ब्रिज बनाया जाये, जो इस मेले म भी काम देगा और आगे के मेलो मे भी काम देगा ? आगे के मेला मे भी रेलवे का आमदनी होगी ।

प्रो० मधे दडवते : माननीय सदस्य ने शायद मेरे मूल उत्तर को नही सुना है । मैंने कहा है कि वैस्टर्न रेलवे के पास पैसेजर एमिनिटीज के लिए जो धनराशि उपलब्ध है, उसमे एक ब्रिज तैयार करने का काम हाथ मे लिया जाएगा । लेकिन बाकी काम मध्य प्रदेश सरकार का करना होगा ।

श्री राम कवार बेरवा : उज्जैन का कुम्भ मेला एक ऐतिहासिक और पुराना मेला है, जहा दूर दूर से यात्री आते हैं । जहा तक खर्चे का सवाल है, रेलवे को टिकटो से जो आमदनी होती है, उसमे समस्या हल हो सकती है । मत्री महोदय ने बताया है कि उन्होने राज्य सरकार से 22,000 रुपया मागा है । क्या राज्य सरकार ने कोई जवाब

दिया है कि वह यह रुपया लगाने के लिए तयार है या नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते : हमने राज्य सरकार को 26-12-77 का खत लिखा था। लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट से जो अनुरोध किया था, उसके अनुसार अभी तक उन्होंने हमारे हाथ में वह राशि देने का फैसला नहीं किया है। हो सकता है कि आगे चल कर वह इस बारे में निर्णय करे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाडेय : इस समय उज्जैन में मुख्य शहर और फ्रीगंज के बीच में जो पुल है, वह यातायात के लिए अपर्याप्त है। दूसरी ओर रेलवे समपार है। उस पर भी भारी यातायात है। एक लम्बे समय से वहां भी पुल बनाने की मांग की जा रही है। रेलवे क्रासिंग पर उस पुल का रेलवे मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को मिल कर बनाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने की कोई योजना है या मंत्री महोदय इस पर विचार करने के लिए तैयार है ? जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार ने इस हेतु लिखा भी है।

प्रो० मधु दंडवते : इस ओवरब्रिज के बारे में जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वह जब तक अपने हिस्से की राशि अदा नहीं करती, तब तक यह काम करना बहुत कठिन है। उनके साथ हमारी कारेसपोंडेंस हो रही है। अगर वह इसके लिए तैयार है तो इसे किया जाएगा।

आरक्षण के टिकटों की अनधिकृत बिक्री

*288. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर कुछ गैर-सरकारी एजेंट यात्रियों से अधिक पैसे लेकर उन्हें अनधिकृत रूप से आरक्षण टिकट बेचते हैं,

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप, देश के लाखों यात्रियों से अधिक पैसे वसूल कर के सीटों तथा शायिकाओं के लिए आरक्षण टिकट प्रतिदिन बेचे जाते हैं,

(ग) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार का समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) यह भ्रष्ट प्रक्रिया पूरी तरह कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) रेल प्रशासन के नोटिस में ऐसे मामले आये हैं कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति विशेषतया बड़े स्टेशनों पर जिनमें दिल्ली भी शामिल है आरक्षित सीटों के टिकट खरीद लेते हैं और गुप्त रूप से इच्छुक यात्रियों से अधिक पैसा लेकर बेच देते हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गाड़ियों में आरक्षण के मामलों में भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण मांग और पूर्ति के बीच अन्तर है। रेलें अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर तथा वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को उत्तरोत्तर अधिक आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के सभी प्रयास कर रही है। आरक्षण की व्यवस्था और प्रक्रिया भी सरल और कारगर बना दी गयी है। इन उपायों से कदाचार काफी कम हो गया है। लेकिन, छुट्टियों, त्यौहारों आदि के अवसर पर जबकि विशेष गाड़ियां चलाये जाने तथा गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये जाने के बावजूद यातायात की भारी भीड़-भाड़ होती है यात्री अपनी मनवांछित गाड़ियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए जानबूझ कर अधिक पैसा देते हैं। ऐसे मामलों से भ्रष्टाचार केवल सामाजिक दबाव से ही दूर किया जा सकता है।